कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी) की बैठक सं0 15/2000 दिनांक 24-1-2000 को जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सायं 4·00 बजे सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण :-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री के·पी·सिंघल, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री ए·के· गुप्ता, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री पी·आर· शर्मा, निदेशक (वित्त) जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री एस·एल· माथुर, निदेशक(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।
5- श्री ए·एन· भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(सीपी) जविप्रा,जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :-

1- श्री पी· अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम·पी·)जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री सुरेश गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-1, जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री गिरांज अग्रवाल, उपायुक्त, जोन ए-1, जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री वी·के· जैन, प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-3, जविप्रा,जयपुर ।
5- श्री नीरज तिवाड़ी, उप नगर नियोजक,बीपीसी-11, जविप्रा,जयपुर ।
6- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(सीपी) जविप्रा, जयपुर ।
7- श्री हरि प्रसाद शर्मा, सहायक नगर नियोजक,बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
8- श्री अनन्त देव टांक, सहायक नगर नियोजक, ए-1, जविप्रा, जयपुर ।
9- श्री प्रभात गोस्वामी, जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

---

(1) बीपीसी-11(सीपीसी) की बैठक सं0 14/2000 दिनांक 22-1-2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु :

~~समिति द्वारा अनुमोदित~~ बैठक के जारी किये गये कार्यवाही विवरण में एजेण्डा सं0 4 में त्रुटिवश एक लाईन टंकित नहीं होने के कारण संशोधित कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

नवजीवन गृह निर्माण सह0 समिति की योजना दादाबाड़ी के पूर्व में अनुमोदित मानचित्र में खसरा नं0 127, 128 व 137 में आने वाले ... अनुमोदित नहीं किये गये थे । जोन बी-3 के प्राधिकृत अधिकारी

शुल्क जमा नहीं होने के कारण इन खसरा नंबरों में आने वाले भूखण्डों को अनुमोदन नहीं किया गया था। चूंकि अब राज्य सरकार के आदेशों के अनुसरण में सभी भूखण्डों के लिए रूपान्तरण शुल्क जमा करवाया जा रहा है अत: इन खसरा नंबरों में प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों को अनुमोदित करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया । प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-3 ने यह भी बताया कि खसरा नं0 127 व 128 में धारा 90 बी की कार्यवाही की जा चुकी है एवं खसरा नं0 137 की धारा 90 बी की कार्यवाही अभी की जानी है जो अब कर ली जाये ।

~~शेष~~ इस संशोधन के साथ कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी ।

(2) विभिन्न उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-

2.1- एजेण्डा सं0 15/2000-1 :- नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना निर्माण नगर -एबी (जोन बी-1) :-

भूखण्ड सं0 53 के पट्टाधारी श्री सुरेन्द्र वीर सिंह को समिति द्वारा सुना गया और इस भूखण्ड की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए भूखण्ड सं0 53 और 54 के बीच चरपेटा रखने का निर्णय लिया गया ।

2.2- एजेण्डा सं0 15/2000- 2 :- सिविल लाईन्स गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना यूनिट नं0- 1 (जोन ए-1) :-

उपायुक्त, जोन ए-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके ~~की~~ पर कब्जे की स्थिति पर विचार कर एवं प्रार्थी डा0 एस.पी. सुदानियां को सुनकर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भूखण्ड सं0 59 और 82 के उत्तर में सड़क की चौड़ाई 25 फिट रखी जाये और गैर अनुमोदित दुकानों का शेष क्षेत्रफल भूखण्ड सं0 59 और 82 में मिला दिया जाये । यदि इन भूखण्डों के आवंटियों के पास समिति का पट्टा कम क्षेत्रफल का है तो पट्टे से बढ़े हुए क्षेत्रफल की नियमन राशि सरकारी भूमि मानकर वसूल की जाये । समिति की बैठक सं0 10/2000 के एजेण्डा सं0 4 में भूखण्ड सं0 82 बाबत लिये गये निर्णय को तदानुसार संशोधित समझा जाये और भूखण्ड सं0 82 की चौड़ाई 25 फिट सड़क को छोड़कर जो मौके पर उपलब्ध हो

सह0 समिति की योजना कैलाश नगर (जोन बी-3) :-

प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-3 द्वारा बताये गये तथ्यों, मौके की स्थिति एवं भूखण्ड़ सं0 44 व 45 के भूखण्ड़धारियों की सहमति के आधार पर भूखण्ड़ सं0 44 व 45 का नाप संशोधित कर निम्न प्रकार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया :-

भूखण्ड़ सं0 44 - 31`-7" x 60`-0"

भूखण्ड़ सं0 45 - 31`-8" x 60`-0"

उपरोक्त नाप परिवर्तन के कारण, बची हुई 16`-9" चौड़ी भूपट्टी भूखण्ड़ सं0 45 व 46 के बीच रखी जाये ।

2.4- एजेण्ड़ा सं0 15/2000- 4 :- नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना निर्माण नगर -एबी (जोन बी-1) :-

उपायुक्त, बी-1 ने समिति को बताया कि अनुमोदित मानचित्र और समिति द्वारा जारी साईट प्लान में भूखण्ड़ सं0 389 की लम्बाई और चौड़ाई $\frac{45` - 59`-6"}{2}$ x 65` अंकित है जबकि अनुमोदित मानचित्र और समिति द्वारा जारी पट्टे में इसका क्षेत्रफल 348.3 वर्ग गज अंकित है जो उपरोक्त ड़ाईमेसन्स के हिसाब से 371.98 वर्ग गज होना चाहिए । बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि इस भूखण्ड़ के ड़ाईमेसन्स को सही मानते हुए इसके क्षेत्रफल में संशोधन कर इस भूखण्ड़ का क्षेत्रफल 371.98 वर्ग गज संशोधित किया जाये और इस भूखण्ड़ का नियमन तदानुसार किया जाये ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय (सीपीसी)
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: एफ-11(14)जविप्रा/वननि/सीपी/15/2000/डी-36
दिनांक : 25-1-2000

प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा;जयपुर ।
3- निदेशक(आयोजना)/(वित्त)/(विधि)/(अभियांत्रिकी) जविप्रा,जयपुर ।

...4

4- अति0 आयुक्त(भूमि एवं योजनाएं) जविप्रा, जयपुर ।

5- वरिष्ठ नगर नियोजक(एम॰पी॰) जविप्रा, जयपुर ।

6- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जोन ए-1, ए-2, बी-1, बी-2, बी-3, सी-1, सी-2, एवं डी, जविप्रा,जयपुर ।

7- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी
जविप्रा,जयपुर ।

क्रमांक: एफ-11(14(जविप्रा/वननि/सीपी/15/2000/डी- 36
दिनांक : 25-1-2000